न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 09 / 2020

बउनवान

अनिल पुत्र गंगाराम, जाति बैरवा निवासी महुआ तहसील मांगरोल जिला बारां, राज(अपीलांट)

बनाम

1. रामदयाल पुत्र मोहनलाल जाति बैरवा निवासी महुआ तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0) (रेंस्पोडेंट)

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.02.2014 न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल एवं नामान्तकरण संख्या 812 दिनांक 14.03.2014 अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री बाबूलाल जैन एडवोकेट (अपीलांट)
2. श्री घनश्याम गर्ग एडवोकेट (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 15.03.2024

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम महुआ की आराजी खसरा नंबर 580 रकबा 1.48 है. जिसका साबिक खसरा नंबर 683 रकबा 9 बीघा था तथा वर्तमान में केचमेन्ट होने के कारण उक्त आराजी का खसरा नंबर 1382 रकबा 1.42 है. दर्ज है कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा फर्जी एवं कूटरचित वसीयत तैयार करवाकर अपने नाम दर्ज करवा ली जो न्याय के सर्वमान्य तथ्यों के विपरीत होने से तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। ग्राम महुआ की उक्त आराजी पूर्व में खातेदार मथरा, बिरधा पुत्र चुन्या जाति चमार के नाम दर्ज थी जिस पर अपीलांट के पिता व रेस्पो0 क्रम 1 दादा द्वारा तत्कालीन खातेदारों पर न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बारां के यहां दावा पेश कर आराजी पर खातेदारी प्राप्त कर ली थी परन्तु उक्त निर्णय व डिक्री का अमल राजस्व रेकार्ड में नही होने से खातेदारो मे मथरा, बिरधा का नाम चलता रहा जिसका फायदा उठाकर रेस्पो0 क्रम 1 ने सांठ गांठ कर अपीलाधीन निर्णय अपने पक्ष में बिना अपीलांट को सूचित किये करवा लिया जो निरस्तनीय है। रेस्पो0 क्रम 1 द्वारा मथरा व बिरधा पुत्र चुन्या जाति चमार की एक फर्जी व कूटरचित वसीयत दिनांक 26.07.2003 करवा ली जबकि खातेदार मथरा पुत्र चुन्या तो सन् 1982 में ही मर गया था जिसकी पुष्टि उसके भाई बिरधा द्वारा उपखण्ड अधिकारी बारां के यहां दावे के जवाब में की है तथा बिरधा की मृत्यु लगभग 1987 में हो गई थी जिसकी पुष्टि उक्त दावे तथा ग्राम पंचायत भटवाड़ा द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र से होती है। जबकि रेस्पो0 क्रम 1 द्वारा मथरा की मृत्यु दिनांक 12.05.2007 को व बिरधा की मृत्यु 21.09.2010 को होना बताया है तथा प्रस्तुत दोनो मृत्यु प्रमाण पत्र को फर्जी तरीके से बनवाया गया है जो कूटरचित दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं जबकि तहसीलदार मांगरोल की पत्रावली में दिनांक 03.02.2014 की पटवारी हल्का रिपोर्ट से यह साफ जाहिर होता है कि मथरा, बिरधा लगभग 40–50 वर्ष से ग्राम महुआ में निवास नही करते है तथा उनके जीने मरने की कोई पता नहीं है। उक्त रिपोर्ट के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.26 16:48:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

किये जाने योग्य है। रेस्पो0 कम 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उक्त आराजीयात का खसरा नंबर 680 अंकित किया है तथा कथित कूटरचित वसीयत भी खसरा नंबर 680 की ही की गई है तथा बयानों में भी गवाहों ने उपरोक्त आराजीयात का खसरा नंबर 680 बताया है जबकि विवादित आराजी का खसरा नंबर 1342 रकबा 1.42 है. है। पत्रावली में पटवारी हल्का एवं आई.एल.आर. की रिपोर्ट में विरोधाभास होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.02.2014 तथा उसकी पालना में खुले नामान्तरकरण संख्या 812 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वह अपीलांट को सुनवाई का अवसर देते हुए मथरा व बिरधा के बारे में जांच कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष में हुई वसीयत ग्राम महुआ की आराजी खसरा नंबर 680 रकबा 1.48 है. की तहरीर कराई गई थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में खसरा नंबर 680 के स्थान पर खसरा नंबर 580 रकबा 1.48 है. (केचमेन्ट हाल खसरा नंबर 1382 रकबा 1.42 है.) दर्ज कर इसी अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज कर दिया। जबकि अपीलांट के पिता गंगाराम एवं रेस्पो0 कम 1 के दादा लटूर पुत्रगण नाथूलाल जाति बैरवा निवासी महुआ तहसील मांगरोल द्वारा वसीयतकर्ता बिरधा पुत्र चुन्या जाति बैरवा निवासी महुआ तहसील मांगरोल के यहां दावा प्रकरण संख्या 127/82 अन्तर्गत धारा 88,89,90,188 आर.टी.ए. पेश किया था जिसमें माननीय न्यायालय ने बाद सुनवाई वादीगण के पक्ष में दिनांक 31.08.87 को निर्णय एवं डिकी पारित की गई। परन्तु उक्त निर्णय एवं डिकी का राजस्व रेकार्ड में अमल नहीं होने से आराजीयात मथरा, बिरधा पुत्र चुन्या जाति चमार निवासी महुआ के ही खाते दर्ज रही। रेस्पोडेन्ट के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2014 में वसीयतकर्ता मथरालाल की मृत्यु दिनांक 12.05.2007 को एवं बिरधीलाल की मृत्यु दिनांक 21.09.2010 को होना अंकित किया गया है। जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के दावा प्रकरण संख्या 127/82 में प्रस्तुत किये गये स्वतंत्र गवाहान के बयान PW2 माधो पुत्र देवलाल जाति मीणा निवासी महुआ एवं PW3 चतुर्भज पुत्र मूलीलाल जाति मीणा निवासी महुआ के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी बिरधा पुत्र चुन्या चमार निवासी महुआ के भाई मथरा की मृत्यु उक्त वाद से पहले ही हो गई थी। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट कम 1 ने कूटरचित वसीयत तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय पारित करवा कर अपीलाधीन नामान्तरकरण से आराजी अपने नाम दर्ज करवाकर इन्द्रा कुमारी पत्नि दिलीप कुमार जाति रैगर निवासी राज का कुआं शाहाबाद दरवाजा, बारां के पक्ष में विकय पत्र तहरीर करवाकर बेचान कर दी। अपीलान्ट को बेचान की जानकारी प्राप्त होने पर अपीलान्ट ने केता इन्द्रा कुमारी, रेस्पोडेन्ट कम 1 रामदयाल एवं साहबलाल पुत्र लटूर जाति बैरवा निवासी महुआ तहसील मांगरोल के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां के समक्ष प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. पेश किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या 21/2022 बउनवान अनिल बैरवा बनाम इन्द्रा कुमारी वगैरा में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.12.2022 को निर्णय पारित किया जाकर अप्रार्थीगण को वाद निर्णय तक ग्राम महुआ की आराजी खसरा नंबर 1382

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.26 16:48:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

रकबा 1.42 है. भूमि के रेकार्ड व कब्जे की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट का यह कथन सही है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा लटूर एवं गंगाराम के पक्ष में निर्णय एवं डिक्री पारित की गई थी परन्तु उक्त निर्णय एवं डिक्री की पालना नहीं होने से उक्त निर्णय एवं डिक्री नल एण्ड वोईड है। वसीयतकर्ताओं ने रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा की गई सेवा से प्रसन्न होकर उसके पक्ष में वसीयत तहरीर कराई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद जांच दिनांक 28.02.2014 को वसीयतग्रहिता के पक्ष में निर्णय पारित किया गया तथा निर्णय दिनांक 28.02.2014 की पालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण खोला जाकर तस्दीक किया गया है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के विरूद्ध एफ आई आर नंबर 148/2020 अन्तर्गत धारा 420,467,468, 471,417,120(बी) भारतीय दण्ड संहिता थाना सीसवाली में दर्ज कराई गई जिसमे बाद जांच एफ.आर. माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, मांगरोल में पेश की गई। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट का यह कथन पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रमाणित है कि वसीयतकर्ता मथरा, बिरधा पुत्रगण चुन्या चमार निवासीगण महुआ द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के पक्ष में वसीयत ग्राम महुआ की आराजी खसरा नंबर 680 रकबा 1.48 है. की तहरीर कराई गई थी जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच वसीयत प्रकरण संख्या 21/2013 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2014 ग्राम महुआ की आराजी खसरा नंबर 580 रकबा 1.48 है. (केचमेन्ट हाल खसरा नंबर 1382 रकबा 1.42 है.) के बाबत पारित किया गया है, तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण भी ग्राम महुआ की आराजी खसरा नंबर 1382 रकबा 1.42 है. का ही रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के नाम खोला जाकर तस्दीक किया गया है। साथ ही वर्तमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में इसी आराजी बाबत वाद बउनवान अनिल बैरवा बनाम इन्द्राकुमारी वगैरह जैरकार होना वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या 21/2022 बउनवान अनिल बैरवा बनाम इन्द्रा कुमारी वगैरह निर्णय दिनांक 07.12.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच वसीयत प्रकरण संख्या 21/2013 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2014 एवं ग्राम महुआ का नामान्तरकरण संख्या 812 दिनांक 14.03.2014 खारिज किये जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ तहसीलदार मांगरोल को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में विचाराधीन वाद में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में नियमानुसार पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.26 16:48:15 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां
जिला कलक्टर बारां (राज.)